रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 14, 1999/वैशाख 24, 1921
No. 252] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 14, 1999/VAISAKHA 24, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 1999

का.आ. 339(अ).—नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 16 अगस्त, 1945 के आसपास बैंकाक से प्रस्थान करने और एक विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी कथित मृत्यु तथा उससे जुड़े अनुवर्ती घटनाक्रम से संबद्ध स्थितियों की जांच करने तथा भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रमशः अप्रैल, 1956 तथा जुलाई, 1970 में गठित शाहनवाज़ खान समिति तथा खोसला जांच आयोग के निष्कर्ष यह थे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु एक विमान दुघटना में हुई है;

और जनता की यह व्यापक धारणा है कि नेताजी जी की मृत्यु के बारे में सच्चाई का पता लगाने का मुद्दा अभी भी यथावत् है ;

और इस मामले में आगे और जांच करने की निरंतर मांग रही है ;

और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी भारत सरकार को यह निदेश दिया है कि इस विवाद को समाप्त करने के प्रयोजन के लिए विधि के अनुसार विस्तृत जांच कराई जाए, यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए जांच आयोग का गठन किया जाए ;

और पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा 24·12·1998 को एक संकल्प पारित किया गया जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के पते-ठिकाने का रहस्योद्घाटन करने के लिए इस मामले में नए सिरे से जांच की मांग की गई है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामला, अर्थात् 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के गायब हो जाने की गहन जांच करने के प्रयोजन से एक जांच आयोग गठित किया जाना आवश्यक है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1)और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जांच आयोग गठित करती है, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति श्री एम0के0 मुखर्जी होंगे ।

2· आयोग 1945 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने से संबंधित सभी तथ्यों और परिस्थितियों और इससे संबंधित पश्चात्वर्ती घटनाओं की जांच करेगा जिसमें निम्नलिखित भी हैं :--

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हो गई है या वे जीवित हैं;

(ख) यदि उनकी मृत्यु हो गई है तो क्या विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है जैसाकि अधिकथित है ;

(ग) क्या जापान के मन्दिर में जो अस्थियां हैं, वह नेताजी की ही अस्थियां हैं ;

(घ) क्या उनकी मृत्यु किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य स्थान पर हुई है और यदि ऐसा है, तो वह कब और कैसे हुई ;

(ङ)·यदि वह जीवित हैं, तो उनके ठौर-ठिकाने के संबंध में जानकारी ।

3 आयोग उस तरीके की भी जांच करेगा जिसमें ऐसे प्रकाशनों की, जिनमें नेताजी की मृत्यु या अन्यथा दुर्घटना होने के प्रश्न अन्तर्वलित हैं, जांच पड़ताल का कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इन परिस्थितियों में आरंभ किया जा सकता है ।

4· आयोग,अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को, यथाशीघ्र, किन्तु इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

5· आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और/अथवा अन्य किसी स्थान पर होगा जैसा आयोग निर्धारित करे ।

6· केन्द्रीय सरकार की राय है कि मामले की अन्य परिस्थितियों और की जाने वाली जांच के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5

की उप धारा (2), उप धारा (3), उप धारा (4) और उप धारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उप धारा (2) से (5) तक के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे ।

[फा. सं. VI/11034/18/98-आई.एस.(डी-III)]

निखिल कुमार, विशेष सचिव

MINISTRY OF AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 1999

S.O. 339(E).— Whereas the Shah Nawaz Khan Committee and the Khosla Commission of Inquiry appointed by the Government of India in April, 1956 and July, 1970 respectively to inquire into and to report to the Government of India on the circumstances concerning the departure of Netaji Subhas Chandra Bose from Bangkok about the 16th August, 1945, his reported death as a result of an air craft accident, and subsequent developments connected therewith had come to tne conclusion that Netaji Subhas Chandra Bose met his death in an air crash;

And, whereas there is a wide spread feeling among the public that the issue of finding the truth about Netaji's death still remains;

And, whereas there has been a consistent demand for a further inquiry into the matter;

And, whereas the Calcutta High Court also directed the Government of India for a vigorous inquiry in accordance with Law, if necessary, by appointing a Commission of Inquiry for the purpose of giving an end to this controversy;

And, whereas a Motion was adopted on 24.12.1998 by the West Bengal Legislative Assembly wherein a demand has been made for a fresh inquiry into the matter to remove the mystery regarding the whereabouts of Netaji Subhas Chandra Bose;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an indepth inquiry into a definite matter of a public importance, namely, the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952(60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice M.K. Mukherjee, a retired Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall inquire into all the facts and circumstances related to the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945 and subsequent developments connected therewith including:-

(a) whether Netaji Subhas Chandra Bose is dead or alive;
(b) if he is dead, whether he died in the plane crash, as alleged;
(c) whether the ashes in the Japanese temple are ashes of Netaji;
(d) whether he has died in any other manner at any other place and, if so, when and how;
(e) if he is alive, in respect of his whereabouts.

3. The Commission shall also examine the manner in which the exercise of Scrutiny of Publications touching upon the question of death or otherwise of Netaji can be undertaken by the Central Government in the circumstances.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than six months from the date of publication of this notification.

5. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi, and/or any other place as determined by the Commission.

6. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section(2), sub-section(3), sub-section(4) and sub-section(5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission and the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2) to (5) of that section shall apply to the Commission.

[F. No. VI/11034/18/98-IS(D.III)]
NIKHIL KUMAR, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110 064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110 054.